कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा
वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401
Telefax – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 477 दिनांक – 26/09/2024

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

27.09.2024

विषय– मे0 सी0सी0एल0 का टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत पिपरवार परियोजना हेतु 43.30 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव को नवीकरण करने के संबंध में।

27/9/24

प्रसंग– आपका पत्रांक 1809 दिनांक 02.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मे0 सी0सी0एल0 का टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत पिपरवार परियोजना हेतु 43.30 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव को नवीकरण करने संबंधी प्रस्ताव ऑनलाईन एवं हार्डकापी में इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित आनॅलाईन एवं आफलाईन प्रस्ताव की जॉच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेक लिस्ट एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। जॉचोपरान्त कई आवश्यक अभिलेख एवं कतिपय त्रुटियॉ/कमियॉ पायी गयी जो निम्नवत् है :–

1. प्रस्ताव में संलग्न कैड्रस्टल मैप पर दिखाये गये Project Lease Boundary के अनुसार वनभूमि/गैरमंजरूआ जंगल–झाड़ी/गैर वनभूमि इत्यादि संलग्न भूमिगत माईनिंग करने हेतु दर्शाया हुआ है परन्तु Geo- referacne map in shape file में मात्र चार पैच वनभूमि का ही दर्शाया हुआ है। दोनों विरोधाभाषी है, इसे स्पष्ट करें। साथ ही Lease Boundary मौजा विजैन के तरफ से होकर गुजरती हुई भी दिखाई गई है जबकि इस परियोजना में मात्र 03 ही गॉव प्रभावित हो रहे है। इस प्रकार दिखाये गये Lease Boundary किस आधार पर विजैन गॉव के तरफ से गुजरते हुए दिखाया गया है, इसे भी स्पष्ट करें।
2. ऑनलाईन पार्ट–2 की कंडिका 14 में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भरी गई कॉलमों में गैर वनभूमि के संबंध में 0 अंकित है जबकि इसी परियोजना के विरूद्ध 53.79 हे0 गैर वनभूमि विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, तो उस स्थान पर शून्य किस आधार पर अंकित किया गया है, स्पष्ट किया जाय। साथ ही कुल क्षतिपूरक वनरोपण कार्य हेतु रकबा–1930.70 हे0 प्राप्त हुआ है जिसमें 1761.65 हे0 में कार्य हुआ है तो शेष 169.65 हे0 रकबा में क्षतिपुरक वनरोपण कार्य अबतक क्यों नहीं हुआ है, इसे भी स्पष्ट किया जाय।
3. पार्ट–1 की कंडिका A-2 (xiii) में Proposal submitted in past में नई प्रस्ताव के संबंध में सूचना अंकित किया हुआ है जबकि इसमें वैसे प्रस्ताव की सूचना अंकित करना है जिसमें भारत सरकार से Stage-I या Stage-II प्राप्त है जैसे कि– 13.11 हे0, 28.22 हे0, 101.87 हे0, 166.91 हे0 तथा 92.26 हे0 प्रस्तावों के संबंध में सूचना अंकित करना अनिवार्य है।

2474
30/09/2024

Scanned with CamScanner

4. पार्ट–1 की कंडिका A-4 Details of approvals under the forest (conservation) Act में भरी गई कॉलमों में अंकित किये गये डाटा सही नहीं है, क्योंकि वर्ष 2010 में इस परियोजना को भारत सरकार से स्वीकृति कब मिला है, इसे स्पष्ट करें।

5. पार्ट–1 की कंडिका A-5 status on compliance to conditions stipulated in the previous approvals में conditions no-2 का पूर्ण compliance अभी तक नहीं हुआ है। इस परियोजना के विरूद्ध आपके स्तर से 53.79 हे0 गैर वनभूमि उपलब्ध कराने की सूचना अभिलेख में है परन्तु उक्त भूमि का अबतक अधिसूचना नहीं कराया गया हे, क्योंकि स्थल पर रिक्त एवं अतिक्रमण से मुक्त जमीन उपलब्ध नहीं है। उक्त स्थल पर अतिक्रमण कर लोगों द्वारा मकान, जोत–कोड़ कर भरण–पोषण किया जा रहा हे। ऐसी स्थति में इसके स्थान पर अलग से 53.79 हे0 गैर वनभूमि विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि उसका अधिसूचना कराकर भारत सरकार के प्रतिवेदित किया जा सके तभी इस शर्त का अनुपालन होगा जिसकी सूचना भारत सरकार को भेजी जायेगी।

6. पार्ट–1 की कंडिका B-2.4 में component wise break-up में infrastructure (Road etc) में 1.30 हे0 वनभूमि, नाला, 0.31 हे0 Green Belt में 1.96 हे0 वनभूमि तथा भूमिगत कोयला हेतु 39.64 हे0 वनभूमि दर्शाया हुआ है। जब भूमिगत कोयला निकालना है तो उसमें सड़क/infrastructures आदि में वनभूमि लेने का क्या औचित्य है, स्पष्ट करें।

7. पार्ट–1 की कंडिका C में no. of patches - five दर्शाया हुआ है जबकि four patches में ही 43.30 हे0 रकबा पूर्ण होता है तो पॉचवॉ KML File Upload करने एवं दर्शाने का क्या औचित्य है, स्पष्ट करें।

8. पार्ट–1 की कंडिका M-2 के (v) में Nature of Mining में Opencast अंकित है जबकि उक्त परियोजना underground mining के लिए प्रस्तावित किया हुआ है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

9. पार्ट–1 की कंडिका H में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में अंकित पत्र सं0 एवं तिथि वर्ष 2014 का दर्शाया गया है परन्तु प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र वर्ष 2020 का लगा हुआ है, दोनों विरोधाभाषी है।

10. प्रस्ताव के साथ underground mining के संबंध में surface strain predicted by 3-D subsidence predication modal का सक्षम स्तर से स्वीकृत Report संलग्न नहीं है।

11. प्रस्ताव में संलग्न Land use plan में underground mining हेतु कितने Tunnel (सुरंग) होंगे दर्शाया हुआ नहीं है।

12. Authenticated Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

13. प्रस्ताव के साथ Reclamation Plan संलग्न नहीं है।

14. प्रस्ताव में संलग्न Deforestions Plan के क्रम सं0 2 में Area (Forest Releas)= 14.30 हे0 दर्शाया गया है यह कौन–सी परियोजना है, जबकि इसे 43.30 हे0 होना चाहिए।

15. ऑनलाईन पार्ट–2 की हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन पार्ट–2 के Additional information में अपलोड करना अनिवार्य है जो नहीं है। इसे अपलोड किया जाय।

Scanned with CamScanner

16. ऑनलाईन पार्ट–1 की कंडिका D में uploaded justification में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।

17. ऑनलाईन पार्ट–1 की कंडिका C (iii) में uploaded Toppo Map में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।

18. ऑनलाईन पार्ट–1 की कंडिका C (iv) में uploaded Geo-reference map में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।

19. ऑनलाईन पार्ट–1 की कंडिका H (c) में uploaded Environment Clearance Report में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।

20. ऑनलाईन पार्ट–1 की कंडिका M 1.1 में uploaded Document में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।

21. ऑनलाईन पार्ट–1 की कंडिका M 2 (iii) में Approval of Mining Plan की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करना है जो uploaded नहीं है।

22. ऑनलाईन पार्ट–1 की कंडिका M 2 (iv) में uploaded Approved Mining Plan में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।

23. ऑनलाईन पार्ट–1 की कंडिका M 2 (vi) में uploaded DGPs or Total Station में प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर एवं तिथियुक्त मुहर अंकित नहीं है।

24. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार विषयक परियोजना के लिए एन0पी0भी0/क्षतिपूरक वनरोपण मद हेतु राशि जमा करने संबंधित बचनबद्धता प्रमाण पत्र एवं मैनुअल पार्ट –1 को वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति पार्ट –1 की Additional information details में अपलोड करना अनिवार्य है जो नहीं किया गया है।

अतः आपके द्वारा समर्पित ऑफलाईन एवं ऑनलाईन प्रस्ताव को इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों/त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित ऑफलाईन एवं ऑनलाईन प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 26.9.24

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

(हस्ताक्षर) 26/09/2024

कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
ज्ञापांक:- 2017 दिनांक:- 7.10.24
प्रतिलिपि:- परियोजना पदाधिकारी, पिपरवार UG Phase-I को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर निराकरण प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित करें ताकि उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जा सके।

(हस्ताक्षर)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल

Amraplai OCP 531.64 Ha (Forwading)

(हस्ताक्षर) 05/10/2024 (हस्ताक्षर) 05.10.2024

Scanned with CamScanner